न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–179/2024

वाद पत्र अन्तर्गत धाराः– 88, 53 आर.टी.ए.

1 बुधराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
2 आशाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
3 राकेश कुमार पुत्र साजन राम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
4 जयनारायण पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम्

1 रेशमी धर्म पत्नी स्व0 साजनराम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
2 रामलाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
3 धापा पुत्री साजनराम पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ
4 सुमन पुत्री साजनराम पत्नी श्योपतराम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ –

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री रामकुमार कस्वां – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदन मूण्ड प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राज पैरोकार प्रतिवादी सं. 5

–:निर्णयः–

दिनांक ....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि 2–यह कि वादी संख्या 1 व 2 सगे भाई है वस प्रतिवादी संख्या 2 इनके पिता है व वादी संख्या 3 व 4 सगे भाई है व प्रतिवादी संख्या 1 इनकी माता व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 सगी बहीने है वादीगण के पिता रामलाल व साजनराम के नाम चक 18 एन डी आर के खाता संख्या 123/109 मे 2.4410 है0 व खाता संख्या 110/83 मे 3.5270 है0 व चक 15 एन डी आर बी के खाता संख्या 45/38 मे 1.518 है0 भूमि बहिस्सा बराबर अर्थात दोनो के 1/2–1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दी है वादी संख्या 3 व 4 के पिता साजनराम का दिनांक 3–2–2024 को देहान्त हो चुका है जिसके विधिक व कानूनी वारिसान वादी संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 है एवं वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र है। स्व0 साजनराम व रामलाल के नाम निम्न भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है–

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	145/337	22	3/1/.2330, 4/.2530, 8/1/.2330
खाता 110/83	145/338	26	4/3/.1940,4/5/.0210, 5/1/.2260, 5/2/.0250, 7/1/.2150, 14/3/.1820, 17/3/.1820, 24/3/.182, 25/.0760
	146/338	25	1/.2530, 2/.2530, 3/.1900 4/.0120, 8/.0120,9/.240010/.2530,11/.2400, 12/.0250 20/.0250 कुल 3.527 है0 मय गैर मु खाला
18 एन डी आर	144/341	59	1/1/.2280, 2/1/.1650, 3/.2530, 4/.2530,5/.0630,8/.2530, 9/1/0.2280 10/1/.1650
	145/338	28	6/.2530, 14/2/.2530, 15/.2530, 16/.2280, 17/2/.2330,24/2/.0330 तादादी 2.4410 है0 [illegible]ड
15 एन डी आर बी	147/339	9	5/1/.2280, 5/2/.0250, 6/1/.2280

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:15 IST
Reason: SelfAttested

6/2/.0250, 15/1/.2280, 15/2/.0250
16/1/.2280, 16/2/.0250
24/.2530, 25/1/.2280, 25/2/.0250
कुल 1.518 है0 मय गैरमुमकिन खाला
कुल तादादी 7.486 है0 मय गैरमुमकिन खाला नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित तीनो खातों की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमे वादीगण संख्या 3 व 4 का व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का साजनराम के नाम दर्ज भूमि मे बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा साजनराम की मृत्यू के पश्चात् बनता है जिसकी घोषणा वादीगण करवाने के अधिकारी है व वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 पिता पुत्र है व प्रतिवादी संख्या 2 को उसके नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि उसके पिता स्व0 रतीराम से प्राप्त हुई है इसलिए वादी संख्या 1 व 2 का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने के वादी संख्या 1 व 2 भी हकदार है प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जो स्व0 साजनराम की पुत्रियां है उन्होने अपने हक व हिस्सा का त्याग वादी संख्या 2 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे कर दिया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि का घराघरू तौर पर पारिवारिक समझौता कर बंटवारा कर लिया है व इसी पारिवारिक समझौता अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपना नाम अलग अलग घोषित करवाने के अधिकारी है। पारिवारिक समझौता व बंटवारा पक्षकारान निम्न प्रकार है –

क–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 1 बुधराम की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	145/338	26	4/3/.1940, 4/5/.0210, 5/1/.2280, 5/2/.0250, 6/.253, 7/1/.215, 14/3/.1820, 15/.253, 16/.090, 17/3/.090 कुल 1.584 है0 मय गैरमुमकिन।

ख–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 2 आशाराम की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	145/338	26	16/.1380, 17/2/.033, 17/3/.092, 24/2/.033, 24/3/.182, 25/.076
	145/337	22	3/1/.233, 4/.253, 8/1/.233
	146/338	25	11/.240, 20/.025
			कुल 1.538 है0

ग–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 3 राकेश कुमार की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	144/341	59	1/1/.228, 2/1/.165, 3/.253, 4/.017, 8/.253, 9/1/.228, 10/1/.165
			कुल 1.309 है0

घ–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 4 जयनारायण की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	144/341	59	4/.236, 5/.063,
	146/338,	25	1/.253, 2/.253, 3/.190, 4/.012, 8/.012, 9/.240, 10/.253, 12/.025 कुल 1.537 है0

ड–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि –

चक 15 एन डी आर बी के खाता संख्या 45/38 मे स्व0 साजन राम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 रेशमी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 रामलाल का 1/2 हिस्सा यथावत है व पारिवारिक समझौता मे यह भी तय हुआ है कि चक 18 एन डी आर मु.न.59 के किला नं0 1, 2, 9, 10 की भूमि जिस पर से रोड का निर्माण होना था नही हुआ वह भूमि वापिस यदि खाता मे पूर्व अनुसार दर्ज होती है तो उसका एक मात्र हकदार वादी संख्या 2 राकेश अकेला होगा। इसी अनुसार घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:15 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की चरण संख्या 2 मुताबिक पारिवारिक समझौता हो चुका है व इसी कदर घोषणा करवाकर अलग से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि वह मुताबिक पारिवारिक समझौता भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवा दे पहले तो वे टाल मटोल करते रहे आखिकर दिनाक 15–4–2024 को मुकाम मटोरिंयावाली ढाणी मे स्पष्ट इन्कार हो गया यही विनाय मुखासमत दावा है।

यह कि वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे क–यह कि वाद वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित पारिवारिक समझौता अनुसार घोषणा कर खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता मदन लाल मूण्ड ने वकालतनामा व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसमें निम्नानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी राजीनामा से बंटवारा करने पर सहमति प्रदान की है–

क–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 1 बुधराम की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	145/338	26	4/3/.194, 4/5/.0210, 5/1/.228, 5/2/.0250, 6/.253, 7/1/.2150,14/3/.1820, 15/.253, 16/.090, 17/3/.090 कुल 1.584 है0 मय गैर मुमकिन।

ख–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 2 आशाराम की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	145/338	26	16/.138, 17/2/.0330, 17/3/.092, 24/2/.0330, 24/3/.1820, 25/.076
	145/337	22	3/1/.233, 4/.253, 8/1/.2330
	146/338	25	11/.240, 20/.0250
			कुल 1.538 है0

ग–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 3 राकेश कुमार की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	144/341	59	1/1/.2280, 2/1/.1650, 3/.253, 4/.017, 8/.2530, 9/1/.2280, 10/1/.1650
			कुल 1.309 है0

घ–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 4 जयनारायण की भूमि –

चक नं0	प.न.	मु.न.	किला नम्बर
18 एन डी आर	144/341	59	4/.236, 5/.063, 146/338, 251/.2530, 2/.1/.253, 2/.253, 3/.190, 4/.012, 8/.012, 9/.240, 10/.253, 12/.025 कुल 1.537 है0
	146/338	25	

ड–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि –
चक 15 एन डी आर बी के खाता संख्या 45/38 मे स्व0 साजन राम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 रेशमी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 रामलाल का 1/2 हिस्सा यथावत है व पारिवारिक समझौता मे यह भी तय हुआ है कि चक 18 एन डी आर मु.न.59 के किला नं0 1, 2, 9, 10 की भूमि जिस पर से रोड का निर्माण होना था नही हुआ वह भूमि वापिस यदि खाता मे पूर्व अनुसार दर्ज होती है तो उसका एक मात्र हकदार वादी संख्या 3 राकेश अकेला होगा। प्रतिवादी सं 3, 4 ने अपना हक हिस्सा वादी सं. 3, 4 व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में ब.हि.ब. तर्क कर दिया है। इसी अनुसार घोषणा व खाता विभाजन पर पक्षकार सहमत है। वादी बुधराम द्वारा शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादीगण वाद मुताबिक राजीनामा के, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:15 IST
Reason: SelfAttested

–ःनिर्णय आदेशः–

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा [illegible] डिक्री निम्न प्रकार से किया जाता है कि:–
क–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 1 बुधराम की भूमि चक नं0 18 एन डी आर प.न. 145/338 मु.न.26 कि.न. 4/3/.194, 4/5/.0210, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/.253, 7/1/.215, 14/3/.182, 15/.253, 16/.090, 17/3/.090 कुल 1.584 है0 मय गैर मुमकिन।
ख–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 2 आशाराम की भूमि चक नं0 18 एन डी आर प.न. 145/338 मु.न. 26 कि.न. 16/.138, 17/2/.033, 17/3/.092, 24/2/.033, 24/3/.182, 25/.076

प.न. 145/337 मु.न. 22 कि.न. 3/1/.233, 4/.253, 8/1/.233 प.न. 146/338 मु.न. 25 कि.न. 11/.240, 20/.025 कुल 1.538 है0।

ग–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 3 राकेश कुमार की भूमि चक नं0 18 एनडीआर प.न. 144/341 मु.न. 59 कि.न. 1/1/.228, 2/1/.165, 3/.253, 4/.017, 8/0.253, 9/1/.228, 10/1/.165 कुल 1.309 है0।

घ–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 4 जयनारायण की भूमि चक नं0 18 एनडीआर प.न. 144/341 मु.न. 59 कि.न. 4/.236, 5/.063, प.न. 146/338, मु.न. 25 कि.न. 1/.253, 2/.253, 3/.190 4/.012, 8/.012, 9/.240, 10/.253, 12/.025 कुल 1.537 है0

ड–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि चक 15 एनडीआर बी के खाता संख्या 45/38 मे स्व0 साजन राम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 रेशमी पत्नी साजन राम का नाम अंकित किया जावें व 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 रामलाल का 1/2 हिस्सा यथावत रखा जावे। पारिवारिक समझौता मे यह भी तय हुआ है कि चक 18 एन डी आर मु.न. 59 के किला नं0 1, 2, 9, 10 की भूमि जिस पर से रोड का निर्माण होना था नही हुआ वह भूमि वापिस यदि खाता मे पूर्व अनुसार दर्ज होती है तो उसका एक मात्र हकदार वादी संख्या 3 राकेश अकेला होगा। प्रतिवादी सं 3, 4 ने अपना हक हिस्सा वादी सं. 3, 4 व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में ब.हि.ब. तर्क कर दिया है। उक्तानुसार क ता ड अनुसार वादी सं. 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग अलग कर रकम राज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। यदि कोई स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो नियमानुसार तहसीलदार वसूल करें। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– यदि निर्णित आराजी बैंक रहन हो तो, रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) **RAS**

प्रकरण संख्याः–179 / 2024

1 बुधराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
2 आशाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
3 राकेश कुमार पुत्र साजन राम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तह. व जिला हनुमानगढ
4 जयनारायण पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम्

1 रेशमी धर्म पत्नी स्व0 साजनराम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तह. व जिला हनुमानगढ
2 रामलाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मटोरियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
3 धापा पुत्री साजनराम पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ
4 सुमन पुत्री साजनराम पत्नी श्योपतराम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार कस्वां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री मदन मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– **क–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 1 बुधराम की भूमि** चक नं0 18 एन डी आर प.न. 145 / 338 मु.न.26 कि.न. 4 / 3 / .194, 4 / 5 / .0210, 5 / 1 / .228, 5 / 2 / .025, 6 / .253, 7 / 1 / .215, 14 / 3 / .182, 15 / .253, 16 / .090, 17 / 3 / .090 कुल 1.584 है0 मय गैर मुमकिन।

ख–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 2 आशाराम की भूमि चक नं0 18 एन डी आर प.न. 145 / 338 मु.न. 26 कि.न. 16 / .138, 17 / 2 / .033, 17 / 3 / .092, 24 / 2 / .033, 24 / 3 / .182, 25 / .076 प.न. 145 / 337 मु.न. 22 कि.न. 3 / 1 / .233, 4 / .253, 8 / 1 / .233 प.न. 146 / 338 मु.न. 25 कि.न. 11 / .240, 20 / .025 कुल 1.538 है0।

ग–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 3 राकेश कुमार की भूमि चक नं0 18 एनडीआर प.न. 144 / 341 मु.न. 59 कि.न. 1 / 1 / .228, 2 / 1 / .165, 3 / .253, 4 / .017, 8 / 0.253, 9 / 1 / .228, 10 / 1 / .165 कुल 1.309 है0।

घ–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त वादी संख्या 4 जयनारायण की भूमि चक नं0 18 एनडीआर प.न. 144 / 341 मु.न. 59 कि.न. 4 / .236, 5 / .063, प.न. 146 / 338, मु.न. 25 कि.न. 1 / .253, 2 / .253, 3 / .190 4 / .012, 8 / .012, 9 / .240, 10 / .253, 12 / .025 कुल 1.537 है0

ड–हिस्सा पारिवारिक समझौता मे प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि चक 15 एनडीआर बी के खाता संख्या 45 / 38 मे स्व0 साजन राम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 रेशमी पत्नी साजन राम का नाम अंकित किया जावें व 1 / 2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 रामलाल का 1 / 2 हिस्सा यथावत रखा जावे। पारिवारिक समझौता मे यह भी तय हुआ है कि चक 18 एन डी आर मु.न. 59 के किला नं0 1, 2, 9, 10 की भूमि जिस पर से रोड का निर्माण होना था नही हुआ वह भूमि वापिस यदि खाता मे पूर्व अनुसार दर्ज होती है तो उसका एक मात्र हकदार वादी संख्या 3 राकेश कुमार अकेला होगा। प्रतिवादी सं 3, 4 ने अपना हक हिस्सा वादी सं. 3, 4 व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में ब.हि.ब. तर्क कर दिया है। उक्तानुसार क ता ड अनुसार वादी सं. 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग अलग कर रकम राज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन / न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज ति[illegible]........................ को जारी किया गया। नोटः– डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री [illegible] निष्[illegible] किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:15 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) **RAS**
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ